खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 32/2025
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 विनियम 2011
उनवान खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम नवीन कुमार मैसर्स बाण माता ट्रेडिंग कम्पनी

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 32/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2025/170

सायल :—		गैर सायल :—
जरिये सरकार लोकेश शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर।	बनाम	नवीन कुमार पुत्र श्री रमेश कुमार (विक्रेता खाद्य कारोबारकर्ता) मैसर्सः— बाण माता ट्रेडिंग कम्पनी आयुष्मान हॉस्पीटल के पास 37 कृषि मंडी सुमेरपुर पाली। निवासीः— शांति नगर कॉलोनी वार्ड न. 02 सुमेरपुर जिला पाली पिन कोड 306902

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.एस.ए एक्ट, 2006 नियम 2011

उपस्थितिः अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश गहलोत।

<u>—:निर्णयः—</u>

दिनांकः 30.01.2026

सायल द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत जुर्म दफा 26 की उपधारा (2)(ii) व 27 (iii) d एवं धारा 51 व 58 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 के अन्तर्गत विरुद्ध गैरसायल दिनांक 19.09.2025 को प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान्/वकुलाय को सूचित किया गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार सायल दिनांक 18.08.2023 को वक्त निरीक्षण मैसर्स बाण माता ट्रेडिंग कम्पनी आयुष्मान हॉस्पीटल के पास 37 कृषि मण्डी सुमेरपुर पाली पहूंचे, वहाँ पर श्री नवीन कुमार माली पुत्र श्री रमेश कुमार उपस्थित थे। श्री नवीन कुमार माली को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपना परिचय दिया एवं पूछने पर नवीन कुमार माली ने मैसर्स बाण माता ट्रेडिंग कम्पनी का विक्रेता एवं खाद्यकारोबारकर्ता होना बताया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने श्री नवीन कुमार माली से वर्ष 2023 का खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञा पत्र मांगा जिस पर उन्होंने स्वयं के पहचान के तौर पर आधार कार्ड, जीएसटी एवं खाद्य अनुज्ञा पत्र की छाया प्रतियां, फर्म के मालिकों के पहचान पत्र आदि मौके पर प्रस्तुत किये।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी मय टीम द्वारा मैसर्स बाण माता ट्रेडिंग कम्पनी आयुष्मान हॉस्पीटल के पास 37 कृषि मंडी सुमेरपुर पाली का निरीक्षण करने पर उक्त परिसर में खाद्य पदार्थ घी आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था एवं मौके पर विभिन्न पैकिंग में घी रखा था। इसमें गुणवता में कमी का अन्देशा होने पर वास्ते नमूना जांच हेतु घी 15 किलो के 1 सील्ड टिन को विक्रेता से खुलवाकर 800 ग्राम घी वास्ते नमूना जांच हेतु खरीद कर उसकी कीमत 360/— रुपये विक्रेता/खाद्यकारोबारकर्ता श्री नवीन कुमार माली का नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म संख्या 5 ए की प्रतियां रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता/खाद्यकारोबारकर्ता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता/खाद्यकारोबारकर्ता ने भी पढ़कर, समझकर, व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फॉर्म संख्या 5 ए की एक प्रति विक्रेता/खाद्यकारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 32 / 2025
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 विनियम 2011
उनवान खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम नवीन कुमार मैसर्स बाण माता ट्रेडिंग कम्पनी

यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा घी जार हेतु लेवल तैयार कर प्रत्येक प्लास्टिक जार पर चिपकाए और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली के कोड एवं क्रमांक आर– 2028 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप नम्बर आर–2028 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारो नमूना भागो पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। नमूनीकरण के पश्चात् शेष बचे घी को नियमानुसार मेरे द्वारा सील सीजकर खाद्य कारोबारकर्ता की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया। यह है कि मौका कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता/खाद्यकारोबारकर्ता एवं गवाहों को पढ कर हस्ताक्षर हेतु कहा, इन्होंने मौका फर्द पढ कर हस्ताक्षर किये।

यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहूंच कर फॉर्म न. 06 की प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फॉर्म संख्या 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। दो फॉर्म संख्या 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फॉर्म संख्या 06 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है। शेष दो सील बन्द कर तथा नमूने भाग मय फॉर्म संख्या 06 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली को जमा कराकर रसीदे प्राप्त की।

यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2023/7487 दिनांक 19.09.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज, जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/3382/एक्ट/2023/3346 दिनांक 31.08.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ घी Sub Standard as it is not derived exclusively from milk or products obtained from milk as it contain foreign fat and hence it also Contravenes Reg. No.2.3.7(2) of food safety and standard act 2006 (Prohibitions and resrtictions on sales) Regulation 2011 Due to presenced of Foreign fat. होना पाया गया है तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली के पत्र क्रमांक व सलंग्न रैफरल फूड लैब पूणे की जाँच रिपोर्ट संख्या RFL/P/DO-496/23/583/2023 दिनांक 20.10.2023 द्वारा उक्त घी Sub Standard as per section 3 (1) (zx) of food safety and standard act 2006 होना पाया गया है। अतः उक्त प्रकरण में अभियुक्त द्वारा Sub Standard घी का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। साथ ही उक्त फर्म के पास उक्त खाद्य नमूने का खरीद बिल/वेट इन्वॉइस होना नहीं पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 27 की उपधारा 3 (d) का उल्लघन किया है जिसका जुर्माना धारा 58 में निर्धारित है। अतः उपरोक्त न्याय निर्णय आवेदन श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन है कि अभियुक्त को अधिकतम जुर्माने से दण्डित कर प्रकरण निस्तारित करें ताकि आम जन को शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराया जा सकें।

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये नोटीस सूचित किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री· दिनेश गहलोत ने वकालतनामा प्रस्तुत किया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 32/2025
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 विनियम 2011
उनवान खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम नवीन कुमार मैसर्स बाण माता ट्रेडिंग कम्पनी

अधिवक्तागण अप्रार्थीपक्ष ने लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रकरण कोटे को बढाने के लिए उक्त झूठा प्रकरण बनाकर अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया हैं जो काबिले खारिज है। यह बात सही है कि अप्रार्थी पैकिंग खाद्य पदार्थो को बैचान जरुर करता है जो सीलबंद पैकेट, डिब्बो को आगे से खरीद कर बैचान करता है जिनका नियमानुसार बिल भी लाता हैं। उक्त प्रकरण में बताये गये खाद्य सामान का बिल भी अप्रार्थी के पास था लेकिन कही गुम हो गया है जो ढूंढने पर भी प्राप्त नहीं हुआ है। यह कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण में जारी अधिसूचना दिनांक 27.12.2021 के अनुसार विनियम दो के अन्तर्गत खाद्य कारोबार प्रचालकों को घी के फैटी एसिड सरंचना का अनिवार्य अनुपालन विनियम के राजपत्र में प्रकाशन के दो वर्ष पश्चात् प्रावधानों का अनुपालन प्रवृत होने संबंधी अंकन होने से उक्त प्रकरण में प्रस्तुत लैब रिपोर्ट संख्या एल.एस./3382/एक्ट/2023/3446 दिनांक 31.08.2023 व रेफरल लेब रिपोर्ट संख्या आरएफएल/पी/डीओ/496/23/583/2023 दिनांक 20.10.2023 की होने से अप्रार्थी के विरुद्ध उक्त प्रकरण से पूर्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत कोई प्रकरण नहीं है, न ही ऐसे किसी प्रकरण में आरोपित रहा है, उक्त प्रकरण अप्रार्थी के विरुद्ध प्रथम प्रकरण है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत प्रकरण की कार्यवाही ड्रोप करावें एवं जप्त माल को रिलिज किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थीपक्ष की ओर से बहस के दौरान कोई उपस्थित नहीं होने से उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं सलंग्न दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजों से ज़ाहिर होता है कि दिनांक 18.08.2023 को प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स बाण माता ट्रेडिंग कम्पनी आयुष्मान हॉस्पीटल के पास 37 कृषि मंडी सुमेरपुर पाली में ज़ैर कार्यवाही खाद्य सामग्री 'Ghee' नमूना क्रमांक आर–2028 खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला, जोधपुर की जांच रिपोर्ट दिनांक 31.08.2023 में 'Sub Standard' होना पाया गया। अप्रार्थी द्वारा खाद्य प्रयोगशाला जोधपुर की उक्त रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होने से उक्त नमूना आर–2028 की दुबारा जांच हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली के पत्र क्रमांक व सलंग्न रैफरल फूड लैब पूणे की जाँच रिपोर्ट संख्या RFL/P/DO- 496/23/583/2023 दिनांक 20.10.2023 द्वारा उक्त घी Sub Standard as per section 3 (1) (zx) of food safety and standard act 2006 होना पाया गया है।

अप्रार्थी द्वारा लिखित बहस में इंगित विभागीय अधिसूचना दिनांक 27.12.2021 का जो अवलम्ब लिया गया है, न्यायालय हाजा का यह विनम्र अभिमत है कि उक्त अधिसूचना हस्तगत प्रकरण में इस कारण लागु नहीं होती है क्यों कि प्रश्नगत खाद्य सामग्री में Foreign Fat की उपस्थिति साबित हुई है।

साथ ही, अप्रार्थी द्वारा लिखित बहस में यह कथन अंकित किया है कि उक्त प्रकरण अप्रार्थी के विरुद्ध प्रथम प्रकरण है तथा इससे पूर्व खाद्य सुरक्षा एव् मानक अधिनियम के अन्तर्गत आरोपित नहीं रहा है। उक्त तथ्य अधिनियम 2006 की धारा 49 (c) के अन्तर्गत शास्ति अधिरोपण के एक मापदण्ड के रुप में अवश्य प्रासंगिक है।

इस प्रकार, अप्रार्थी द्वारा 'Sub Standard' (अवमानक) खाद्य सामग्री नमूना क्रमांक आर–2028 का विक्रय/भण्डारण करना साबित होता है, जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः अप्रार्थी खाद्य मानक अधि. 2006 की धारा 26 (2) (ii) के उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर अधिनियम की धारा 51 सपठित धारा 49 में विहित प्रावधानान्तर्गत 'अवमानक' श्रेणी की खाद्य सामग्री नमूना क्रमांक आर–2028 जो उक्त अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) में यथापरिभाषित है,के विक्रय एवं भण्डारण के कारण कुल 50,000/– रुपये मात्र अक्षरे पचास हजार रुपये की शास्ति अधिरोपित की जाती है। साथ ही, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली को निर्देश दिए जाते है कि वे उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानुन के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि" मे जमा करवाकर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 32 / 2025

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 विनियम 2011
उनवान खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम नवीन कुमार मैसर्स बाण माता ट्रेडिंग कम्पनी

निर्णय आज दिनांक **30.01.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बाली

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

क्रमांक / कोर्ट / खा.सु.प्र.स.32 / 2025 / 2026 / दिनांक :

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जनस्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली
3. खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली,

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बाली

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner